(दिल्ली असाघारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिनांक: 18.12.2014

अधिस्चना

सं.एफ. 8/21/99—डी0ए0एम0/एम0आर0/खण्ड—11/3232 .— जबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में कृषि विपणन (विनियम) अिधनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अिधनियम संख्या -7) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट "पशुपालन उत्पाद" खण्ड—। के कम संख्या 7 पर "दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद" मद से सम्बन्धित कृषि उत्पाद "खोया/मावा" के विपणन के विनियमन को समाप्त करने के लिए अिधसूचना का प्रारूप दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार की दिनांक 24 सितंबर, 2014 को दिल्ली राजपत्र माग — IV असाधारण में उक्त अिधनियम की धारा 3 की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया गया था, जिस उक्त प्रकाशित अिधसूचना की प्रतियां जिस तिथि को जनता को उपलब्ध कराई गई थी, उस तिथि से 45 दिन की अविध के मीतर इससे प्रमावित होने वाले संमावित सभी व्यक्तियों से आपत्तियां /सुझाव आमंत्रित किये गये थे;

और, जबिक उक्त अधिसूचना की प्रतियां 25 सितंबर, 2014 को जनता को उपलब्ध कराई गई थी;

और, जबिक उक्त प्रारूप अधिसूचना के सम्बन्ध में जनता से कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः, अब, दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियम) अधिनियम, 1998 की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 11.04.1997 की अधिसूचना सं.एफ 8/1/84—डी०ए०एम०/एम०आर०/1028 के अधिकमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल घोषणा करते हैं कि उक्त वर्णित खोया/मावा के विपणन का विनियमन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तत्काल समाप्त होगा।

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से तथा उनके आदेश पर,

(वी. पी. राव)

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं.एफ. 8/21/99—डी०ए०एम०/एम०आर०/खण्ड.-।।/3233-3245 दिनांक : ।8 । (2 · 2 ०) भूतिलिपि:-

- 1. सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2. कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 4. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- विकास आयुक्त, दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 7. उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण माग—4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).
- 8. अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज विपणन सिमित (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन सिमित, गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन सिमित, बाग दीवार/मोरी गेट एवम पुष्प विपणन सिमित,गाजीपुर,दिल्ली चारा मण्डी सिमित, टिकरी कलां, दिल्ली।
- 9. उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 10. हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 11. निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 12. संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।

13. गार्ड फाईल।

(वी. पी. राव) विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING (DEVELOPMENT DEPARTMENT) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 49, SHAM NATH MARG, OLD SECTT., DELHI-110054.

Dated: the 18 . 12. 2014

NOTIFICATION

No. F. 8/21/99-DAM/MR/Vol.II/ 3232 . — Whereas the draft of notification to cease the regulation of marketing of "Khoya/Mawa" agricultural produce pertaining to item at Sr. No. 7 'Milk and Milk Products' of clause I. 'Animal Husbandry Products' specified in the schedule to the Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No.7 of 1999) in the National Capital Territory of Delhi was published as required by section 3 of the said Act in the Delhi Gazette Part-IV Extra-Ordinary, dated the 24th September, 2014 of Government of National Capital Territory of Delhi, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from the date on which copies of the Delhi Gazette, in which the said notification was published, were made available to the public;

And, whereas the copies of the said notification were made available to the public on 25th September, 2014;

And, whereas no objection and suggestion has been received from the public in respect of the said draft notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the section 4 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, and in supersession of notification no. F.8/1/84-DAM/MR/1028 dated 11.04.1997, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare that regulation of marketing of Khoya/Mawa mentioned above shall cease in the National Capital Territory of Delhi, with immediate effect.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,

(V. P. RAO)

SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

No. F. 8/21/99-DAM/MR/Vol.II/ 3233 - 3245-

Dated: 18-12.2014

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi

The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad.

3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi

- 4. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
- The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
- The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
- Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Delhi, Flower Marketing Committee, and Delhi Fodder Market Committee, Tikri Kalan, Delhi.
- 9. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 10. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
- 11. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.

13. Guard file.

V P RAO

SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI